

प्रीलिमिंस फैक्ट्स: 11 अगस्त, 2018

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ)

- शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ) प्राकृतिक खेती वधियों के एक सेट को संदर्भित करती है, जहाँ फसलों की बुवाई और कटाई शून्य लागत प्रभावी ढंग से की जाती है।
- यह किसी भी उर्वरक, कीटनाशक या अन्य वदिशज तत्त्व को फसल और भूमि में उपयोग किये बिना प्राकृतिक रूप से फसलों की वृद्धि में विश्वास करती है।
- हाल ही में आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ज़ेडबीएनएफ में रुचि दिखाई है और संबंधित राज्यों में इस परियोजना को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
- भारत की बढ़ती खाद्य ज़रूरतों को देखते हुए ज़ेडबीएनएफ, देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये एक सही कदम है।

लाभ

- यह प्रणाली मटिटी और जल प्रदूषण संबंधी खतरे की जाँच करेगी और फसलों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
- यह खेती की शुरुआती लागत को कम करेगी जो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार के पर्याप्तों की मदद करेगी।
- यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में योगदान देगी।
- इससे कृषि से प्राप्त जीडीपी के भाग में वृद्धि होगी।
- यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती है।
- यह छुपे हुए भूख की समस्या को हल करेगा क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से उत्पादित फसलें सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध होगी।

एकल खड़िकी हब 'परविश' लॉन्च

(PARIVESH: Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'वशिव जैव ईंधन दविस' के अवसर पर 'परविश' को लॉन्च किया है।
- 'परविश' एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिये एकल खड़िकी सुविधा प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया है।
- इसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की भावना को भी शामिल किया गया है।
- परविश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
- परविश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय, नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है।
- केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिये (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियों) आवेदन जमा करने, आवेदनों की नगिरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित किया है।
- 'परविश' की एक महत्वपूर्ण विशेषता सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिये एकल पंजीयन है।